रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 287] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 1975/आश्विन 25, 1897

No. 287] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 1975/ASVINA 25, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 17th October 1975

G.S.R. 523(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (1) and (2) of article 371 D of the Constitution, the President hereby makes the following Order to amend the Andhra Pradesh Educational Institutions (Regulation of Admissions) Order, 1974, namealy :—

1. This Order may be called the Andhra Pradesh Educational Institutions (Regulation of Admissions) Amendment Order, 1975.

2 In paragraph 4 of the Andhra Pradesh Educational Institutions (Regulation of Admissions) Order, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), in the *Explanation*, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) in reckoning the consecutive academic years during which a candidate has studied,—

(a) any period of interruption of his study by reason of his failure to pass any examination; and

(b) any period of his study in a State-wide university or a State-wide educational institution,

shall be disregarded"

3. In the Schedule to the said Order, after item 4, the following items shall be inserted, namely :—

"5. School of Optometry, Sarojinidevi Eye Hospital, Hyderabad.
6. Silver Jubilee College, Kurnool."

[No. IV/11015/9/75-S&P (DV.)]

By order and in the name of the President

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 1975

सा०का०नि० 523(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371घ के खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रवेश विनियमन) आदेश, 1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम आन्ध्र प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रवेश विनियमन) संशोधन आदेश, 1975 है।

2. आन्ध्र प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रवेश विनियमन) आदेश, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 4 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (III) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) उन क्रमवर्ती शैक्षिक वर्षों की गणना करने में जिनके दौरान अभ्यर्थी ने अध्ययन किया है;

(क) किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण से उसके अध्ययन में बाधा की अवधि; और

(ख) किसी राज्य-व्यापी विश्वविद्यालय या राज्य-व्यापी शैक्षिक संस्था में उसके अध्ययन की किसी अवधि

की उपेक्षा की जाएगी।"

3. उक्त आदेश की अनुसूची में, मद 4 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"5. स्कूल आफ आप्टोमैट्री, सरोजिनीदेवी आई हास्पिटल, हैदराबाद ।
6. सिल्वर जुबिली कालेज, कुरनूल ।"

[सं० IV/11015/9/75—एस एण्ड पी (डीवी)]

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उसके नाम में

पी० पी० नय्यर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1975